

अंगूरीदेवी

बनाम


करतारसिंह वगैरा

दिनांक 18-10-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादिया वकील उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादिया अपने वाद को चलाना नहीं चाहती है। अतः वादिया का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील वादिया को सुना। चूंकि वादिया अपने वाद को चलाना नहीं चाहती है। अतः वादियागण का वाद नहीं चलाने के कारण के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।


उपस्रण्ड अधिकारी
महदा (दौसा)

